



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102025-267283
CG-DL-E-30102025-267283

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4786]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 30, 2025/ कार्तिक 8, 1947

No. 4786]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2025/ KARTIKA 8, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2025

सं. 68/2025-सीमा शुल्क (एन.टी.)

का.आ. 4939(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उप-धारा (34) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1क), (4) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 26/2022-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 1542(अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 3 में, कॉलम (3) में, प्रविष्टि (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)
“(iiक) धारा 18क”

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 450/72/2021-सीमा शुल्क IV]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना सं। 26/2022-सीमा शुल्क (गै.टै)), दिनांक 31 मार्च, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-धारा (ii) में संख्या एसओ के माध्यम से प्रकाशित किया गया था 1542 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022 और अंतिम संशोधित, अधिसूचना संख्या के माध्यम से। 63/2025-सीमा शुल्क (गै.टै) दिनांक 1 अक्टूबर, 2025 प्रकाशित, संख्या एस.ओ. 4504 (अ), दिनांक 3 अक्टूबर, 2025।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2025

No. 68/2025-Customs (N.T.)

S.O. 4939(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1A), (4) and (5) of section 5 read with sub-section (34) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 26/2022-Customs (N.T.), dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1542(E), dated the 31st March, 2022, namely:-

In the said notification, in the Table,-

(i) in Sr. No.3, in column (3), after entry (ii), the following entry shall be inserted, namely:--

(3)
“(iia) Section 18A”

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 450/72/2021-Cus IV]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 26/2022-Customs (N.T.), dated the 31st March, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1542(E), dated the 31st March, 2022 and last amended, *vide* notification No. 63/2025-Customs (N.T.) dated the 1st October, 2025 published, *vide* number S.O. 4504 (E), dated the 3rd October, 2025.